



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122025-268927
CG-DL-E-30122025-268927

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5901]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 5901]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6101(अ).—आयकर नियमावाली, 1962 के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 'कैंसर संस्थान' (डब्ल्यू. आई. ए.), (पैन: AAATC2259F), चेन्नई को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ 'विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था' की श्रेणी के अंतर्गत 'वैज्ञानिक अनुसंधान' हेतु अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2027-28 से 2031-32 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 175 /2025 /फा.सं. 203/46/2024/ITA-II]

कास्त्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव